न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

बद्री प्रसाद पुत्र रेवड राम

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 258 / 2024

02.12.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1394 / 0.2600, 1398 / 0.1600, 1399 / 0.2100, 1400 / 0.2000 1401 / 0.3400, 1402 / 0.1700, 1403 / 0.1700, 1571 / 0.0900, 1572 / 0.2400, 1573 / 0.1100, 1574 / 0.0900, 1575 / 0.4300, 1576 / 0.2100, 1577 / 0.2400, 1578 / 0.2100 1579 / 0.2100, 1580 / 0.2100, 1581 / 0.2200, 1582 / 0.2000, 1583 / 0.2200, 1584 / 0.1800, 1585 / 0.0900, 1586 / 0.1800, 1587 / 0.2500, 1588 / 0.1300, 1589 / 0.1300, 1590 / 0.2200, 1591 / 0.2300, 1592 / 0.2300, 1594 / 0.2300, 1595 / 0.2000, 1601 / 0.1300, 1602 / 0.1200, 1603 / 0.1900, 1604 / 0.0900, 1605 / 0.0900, 1606 / 0.1900, कुल किता 37 कुल रकबा 7.0700 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी से प्रार्थी अपीलांट को जबरन बेदखल नही करे। प्रार्थी अपीलांट के हिस्सा की उक्त आराजी के कब्जे काश्त में प्रार्थी अपीलांट के साथ किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा नही करे उक्त आराजी को मौजूद गलत इन्द्राज की आड में रहन बय आदि के मुंतकिल नही करे। अन्त में उक्त विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्राथी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात में अप्रार्थीगण रैस्पाडेन्ट ने गलत तरीके से प्रार्थी अपीलांट को मृतक जाहिर करते हुंए ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया और रैस्पा0 ने अपने आपको अपीलांट के वारिसान होना जाहिर करते हुए अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी जिसका अपीलांट 1/12 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है कि विरासत का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करा लिया है तथा रैस्पा0 इस गलत नामांतरकण व उसके आधार पर दर्ज पर प्रविष्टियों के आधार पर प्रार्थी अपीलांट की उक्त आराजी को रहन बय हिवय आदि मुंतकिल करने पर आमादा हो रहे हैं। जिसका रैसपा0 को कोई अधिकार नही है। और यदि अप्रार्थीगण रैस्पा0 ने ऐसा कर दिया तो अपीलांट को नापूर्ति क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण रैस्पा0 को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बावत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1394 / 0.2600, 1398 / 0.1600, 1399 / 0.2100, 1400 / 0.2000 1401 / 0.3400, 1402 / 0.1700, 1403 / 0.1700, 1571 / 0.0900, 1572 / 0.2400, 1573 / 0.1100, 1574 / 0.0900, 1575 / 0.4300, 1576 / 0.2100, 1577 / 0.2400, 1578 / 0.2100 1579 / 0.2100, 1580 / 0.2100, 1581 / 0.2200, 1582 / 0.2000, 1583 / 0.2200, 1584 / 0.1800, 1585 / 0.0900, 1586 / 0.1800, 1587 / 0.2500, 1588 / 0.1300, 1589 / 0.1300, 1590 / 0.2200, 1591 / 0.2300, 1592 / 0.2300, 1594 / 0.2300, 1595 / 0.2000, 1601 / 0.1300, 1602 / 0.1200, 1603 / 0.1900, 1604 / 0.0900, 1605 / 0.0900, 1606 / 0.1900, कुल किता 37 कुल रकबा 7.0700 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर में आगामी आदेशों तक प्रश्नगत भूमि का मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। प्रश्नगत भूमि का किसी प्रकार से रहन बेचान बय आदि ना किया जावे। यथास्थिति के आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। लेकिन किसी भी न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की पालना पर प्रभावी नही रहेगा। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संवध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 07.01.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/01/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण की ओर से श्री पुनीत शर्मा एड. उप.। मुलवाद अपीलान्ट स्वीकार होने के कारण प्रा. पत्र की कार्यवाही भी ड्रोप की जाती है। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 02/12/2024 को इसी स्तर पर खारिज/निरस्त/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलवाद अपील 12/05/2024 के साथ संलग्न होकर जमा लेखा भण्डार हो। SDO